

(51)

(28)

“ब्रिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

आवक क्रमांक 451/48/सं.का./200
दिनांक- 14-7-04

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 102]

रायपुर, सोमवार 24 मई 2004 - ज्येष्ठ 3, शक 1926

संसदीय कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मई 2004

अधिसूचना

क्रमांक 3158/48/सं. का./2004. - छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-क एवं 9 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु छत्तीसगढ़ विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् -

संशोधन

उक्त नियमों में, -

1. नियम 5 के उप नियम (1) के खण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड (एक) स्थापित किया जाये :-

“खण्ड (एक)”

| | | | |
|--------|------------------------------|-----|---------|
| (एक) | दो कूपन प्रत्येक रु. 500 का | रु. | 1000.00 |
| (दो) | सात कूपन प्रत्येक रु. 100 का | रु. | 700.00 |
| (तीन) | चार कूपन प्रत्येक रु. 50 का | रु. | 200.00 |
| (चार) | तीन कूपन प्रत्येक रु. 20 का | रु. | 60.00 |
| (पांच) | दो कूपन प्रत्येक रु. 10 का | रु. | 20.00 |
| (छः) | तीन कूपन प्रत्येक रु. 5 का | रु. | 15.00 |
| (सात) | दो कूपन प्रत्येक रु. 2 का | रु. | 4.00 |
| (आठ) | एक कूपन प्रत्येक रु. 1 का | रु. | 1.00 |

रु. 2000.00

2. नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (क) के अंक रु. 5000 (रु. पांच हजार) के स्थान पर अंक रु. 10000 (रु. दस हजार) स्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 मई 2004

क्रमांक 3158/48/सं. का./2004.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1996 में संशोधन का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप सचिव.

Raipur the 24th May 2004

NOTIFICATION

No. 3158/48/P.A.D./2004. - In exercise of the powers conferred by Section 5-A and read with sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Members, Vetan, Bhatta Tatha Pension Act, 1972 (No.7 of 1973), the State Government hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Legislative Assembly Ex-Members (Free transit by Railway) Rules, 1996, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For Clause (1) of sub-rule (1) of rule 5, the following Clause (1) shall be substituted :-

"Clause (1)"

| | | | |
|--------|-------------------------------|---|-------------|
| (i) | Two coupons of Rs. 500 each | : | Rs. 1000.00 |
| (ii) | Seven coupons of Rs. 100 each | : | Rs. 700.00 |
| (iii) | Four coupons of Rs. 50 each | : | Rs. 200.00 |
| (iv) | Three coupons of Rs. 20 each | : | Rs. 60.00 |
| (v) | Two coupons of Rs. 10 each | : | Rs. 20.00 |
| (vi) | Three coupons of Rs. 5 each | : | Rs. 15.00 |
| (vii) | Two coupons of Rs. 2 each | : | Rs. 4.00 |
| (viii) | One coupon of Rs. 1 each | : | Rs. 1.00 |

Rs. 2000.00

2. In Clause (a) of sub-rule (1) of rule 9, for figure Rupees 5000 (Rs. five thousand) the figure Rupees 10000 (Rs. ten thousand) shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRABHAT SHASTRI, Deputy Secretary.